

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री. शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० -112/2020

अनवान :-

1. जगतपाल पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी भादरा।
- वादी

ब न अ म


1. रमजान पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी भादरा।
2. सलामू पुत्र फिरोजदीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
3. सदीक पुत्र फिरोजदीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
4. मुस्ताक पुत्र फिरोजदीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
5. अलीशेर पुत्र फिरोजदीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
6. मुन्शी खॉ पुत्र फिरोजदीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
7. जनता पुत्री फिरोजदीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी त० भादरा।
8. कमला पत्नी आमीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
9. मंगतु आमीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
10. भोलू खॉ पुत्र आमीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
11. ईकबाल पुत्र आमीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
12. गनी मोहम्मद पुत्र आमीन पुत्र वजीरदीन जाति मुसलमान लखारा निवासी छानीबडी।
13. नूरजहां पुत्री आमीन पत्नी काशी खॉ जाति मुसलमान लखारा हाल अबाद राजकीय बालिका स्कूल के पास सलपूर तहसील आदमपूर जिला हिसार।
14. जैता पुत्री वजीरदीन पत्नी लाल खॉ शिखरगंज जाति मुसलमान लखारा निवासी हाल बिसाईती तारानगर जिला चूरु।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत जोत विभाजन अन्तर्गत

धारा 53 आर टी एक्ट 1955

उपस्थित:- श्री कृष्ण गर्ग वकील वादी


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

निर्णय

दिनांक:- 22/03/22


दावा के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 1 सीएचएन के हाल खता सं० 72/65 के मु०न० 19 किला न० 21 की 0.253 है० मु० न० 20 के किला न० 1 की 0.025 है० किला न० 2 की 0.025 है० किला न० 3 की 0.025 है० किला न० 4 की 0.025 है० किला न० 5 की 0.025 है० किला न० 6 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० मु० न० 23 के किला न० 11,12 प्रत्येक की 0.253 है० किला न० 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है० इस प्रकार कुल 6.956 है० जिसमें नहरी 5.299 है० बरानी 1.479 है० गै०मु० रास्ता 0.178 है० खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त मुश्तक

खातेदारी में वादी 142 हिस्सा का खातेदारी काश्तकार है तथा जमाबंदी में फिरोजदीन, रमजान, आमीन पिसरान वजीरदीन का संयुक्त रूप से 133 हिस्सा दर्ज है जिसमें फिरोजदीन व आमीन की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन विरासतन इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। फिरोजदीन के वारिस दावा में प्रतिवादी सं० 2 से 7 है व आमीन के वारिस प्रतिवादी सं० 8 ता 13 है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अब्दूल गनी खॉ पुत्र हुसैन के नाम 275 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त अब्दूल गनी खॉ लावल्द कुवांर फौत हो चुका है। जिसकी विरासत उसके भाई वजीरदीन के बेटे फिरोजदीन, रमजान व आमीन व मु० जैता ने प्राप्त की है। जिसमें प्रतिवादी सं 1 व 14 तथा आमीन के वारिसान 2 ता 13 दर्ज किये गये है।

वादी एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि के संयुक्त खातेदारी काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण अलग अलग परिवार के सदस्य है तथा अलग अलग भूमि अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है। लेकिन वाद भूमि का खाता संयुक्त होने के कारण वाद भूमि के कब्जा काश्त, सींव डोल व अन्य लगान इत्यादि की बावत अक्सर तनाजा होते रहते है। इसके अलावा वादी राज्य सरकार से कृषि भूमि के सम्बंध में मिलने वाली सुविधाएं नहीं ले पा रहा है व ना ही अपनी भूमि में समूचित सुधार कर पा रहा है। अतः वादी वाद भूमि का अन्य प्रतिवादीगण से उसके हिस्से का कब्जा काश्त अनुसार खाता व माल अलग से कायम करवाने चाहता है , इस हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो पहले तो वे सहमती से खाता तकसीम करवाने पर सहमत हो गये लेकिन फिर दिनांक 16.06.2020 को बमुकाम छानोबड़ी में साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण सं 1 ता 14 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी। पत्रावली को प्राथमिक डीकी किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा 1 सीएचएन के हाल खाता सं० 72/65 के मु० न० 19 किला न० 21 की 0.253 है० मु० न० 20 के किला न० 1 की 0.025 है० किला न० 2 की 0.025 है० किला न० 3 की 0.025 है० किला न० 4 की 0.025 है० किला न० 5 की 0.025 है० किला न० 6 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 है० मु० न० 23 के किला न० 11,12 प्रत्येक की 0.253 है० किला न० 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है० इस प्रकार कुल 6.956 है० जिसमें नहरी 5.299 है० बारानी 1.479 है० गै० मु० रास्ता 0.178 है० खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त मुश्तकाने खातेदारी में वादी 142 हिस्सा का खातेदारी काश्तकार है का अच्छी मन्दी व कब्जा काश्त


उपखण्डाधिकारी (राजस्व) के
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मध्य रजिस्टार नक्शा को दिनांक 04.03.2022 को विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली विभाजन प्रस्ताव को सुना गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-


हिस्सा वादी जगतपाल पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी भादरा :- रोही मौजा 1 सीएचएन के वर्तमान खाता संख्या 4/72 के मु0 न0 20 के किला न0 1 की 0.025 है0 नहरी किला न0 10 ता 11 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी तथा किला न0 19 ता 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी कुल किला 8 की 1.796 है0 नहरी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में आसमानी रंग के अनुसार।

हिस्सा प्रतिवादीगण रोही मौजा 1 सीएचएन के खाता संख्या 4/72 के मु0 न0 19 के किला न0 21 की 0.253 है0 नहरी मु0 न0 20 के किला न0 2 ता 5 की कुल 0.100 है0 नहरी किला न0 6/1 की 0.228 है0 नहरी किला न0 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता किला न0 7 ता 9 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी किला न0 13-14 प्रत्येक किला की 0.253 है0 नहरी किला न0 15/1 की 0.215 है0 नहरी किला न0 15/2 की 0.038 गै0 मु0 रास्ता किला न0 16/1 की 0.240 है0 नहरी किला न0 16/2 की 0.013 है0 रास्ता किला न0 17/1 की 0.228 है0 नहरी किला न0 17/2 की 0.025 है0 रास्ता किला न0 18 की 0.253 है0 नहरी किला न0 23/1 की 0.240 है0 नहरी किला न0 23/2 की 0.013 है0 रास्ता किला न0 24/1 की 0.215 है0 नहरी किला न0 24/2 की 0.038 है0 रास्ता किला न0 25 की 0.253 है0 मु0 न0 23 के किला न0 11 की 0.253 है0 बरानी किला न0 12/1 की 0.240 है0 बरानी किला न0 12/2 की 0.13 है0 किला न0 19/1 की 0.240 है0 बरानी किला न0 19/2 की 0.013 है0 रास्ता किला न0 20-21 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला न0 22/1 की 0.240 है0 बरानी किला न0 22/2 की 0.013 है0 रास्ता-रमजान पुत्र बजीरदीन 1.431 है0 जैतुन पुत्र बजीरदीन 0.869 है0 सलामुदीन अलीशेर मुस्ताक मुन्शीयां सदीक पुत्र फिरोजदीन 1.431 है0 कमला पत्नी आमीन नूरजहां गनीमोहम्मद ईकबाल भोदू खों मंगतुराम पि0 आमीन 1.430 है0 जाति मुसलमान लखारा पि0 छानीबडी खातेदार काश्तकार मुताबिक नक्शा में रंग बैंगनी के अनुसार। किसी भी खातेदारका हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिग्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्वे कोर्ट

कैम्प डूगराना में सुनाया गया।




(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़